

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई०एल०आर० पोस्ताना

वेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार ग्राम पोस्ताना की चालू जमाबंदी सं० 2075-78 का नाम सुभाषचन्द्र पुत्री रामकरण दर्ज है जबकि प्रार्थी के पहचान पत्र, आध्यात्मिक नाम के नाम सुभाषचन्द्र पुत्र रामकरण दर्ज है अतः उचित आदेशों का प्रस्ताव

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/सूचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिधा की जाती है/नहीं की जाती है।

1203  
11/11/2021

सूचित किया जागे उचित है

तहसीलदार (भू.अ.)  
उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुंयुतू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 11-11-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01.	पोस्ताना	2075-78	262	सुभाषचन्द्र पुत्री रामकरण	सुभाषचन्द्र पुत्र रामकरण

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/1034-35  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 11-11-2021

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी